[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं018/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2017

सा0का0नि0 (अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 126(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को पूरे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है ।

[फा.सं.354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार